

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना	गर्भवती/धात्री महिलाओं को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन खजूर दिया जाता है जिन पंजीकृत गर्भवती/धात्री महिलाओं द्वारा अण्डा नहीं लिया जाता उनको खजूर उपलब्ध कराया जाता है।
---	---

पात्रता / लाभार्थी	गर्भवती/धात्री महिलायें
---------------------------	-------------------------

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

आंगनबाड़ी केन्द्र पर महिला पंजीकृत होते हैं, उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती / धात्री महिलाओं को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन खजूर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

भाजपा सरकार में जच्चा-बच्चा को मिल रहा बेहतर पोषण



मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना
से 1 लाख 50 हजार से अधिक
गर्भवती एवं धात्री महिलाएं हो
रही लाभान्वित

योजना के अंतर्गत प्रदेश में
गर्भवती एवं धात्री महिलाओं
को अंडा, खजूर जैसे पोषक खाद्य
पदार्थ किए जा रहे प्रदान

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार

